न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या–466/99

सगीर अहमद आदि ––––बनाम–––– राम लौटन

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–103 क 1

दिनांक–22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०– 103 क 1 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०– 103 क 1 वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि बहस की तैयारी करते समय यह बात संज्ञान में आयी कि वाद पत्र में लिखे गये कुछ तथ्य अस्पष्ट है जिसे स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है। उपरोक्त के प्रकाश में वादपत्र में संशोधन करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। वादी द्वारा वादपत्र में संशोधन हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या 103 क 1 प्रस्तुत किया गया है। वादी   का कथन है कि वाद पत्र में कुछ तथ्य अस्पष्ट अंकित हो गया है जिसे स्पष्ट रूप से लिखने की याचना की गयी है। न्याय की यह मंशा है कि किसी भी वाद में सभी विवाद्यक प्रश्न का एक साथ निस्तारण किया जाए। वाँछित संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उपरोक्त संशोधन से वाद की बहुलता को रोका जा सकता है। प्रकरण में वाद विन्दु विरचित हो चुका है तथा बहस हेतु नियत है। प्रतिवादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है। वादी द्वारा उपरोक्त संशोधन प्रार्थना पत्र अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक प्रतिवादी को विलम्ब से कारित क्षति का प्रश्न है तो इसकी भरपाई हर्जे पर सम्भव है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुण दोष पर पूर्ण व अन्तिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र कागज सं० 103 क 1   150/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०– 103 क 1   150/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी अपने वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते A.W.S./ बहस दिनांक–04.12.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ०कोड यू०पी० 2520